न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 45/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हमीरसिंह पुत्र भवानीसिंह कौम राजपूत, निवासी मोरू, तहसील आहोर, जिला जालोर।		1. अधिशाषी अभियंता जवाई कंमाड क्षेत्र, सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली। 2. राजस्थान सरकार तहसीलदार महोदय आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनि

उपस्थित :–

श्री उत्तम कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 179/15 बउनवान हमीरसिंह बनाम अधिशाषी अभियंता वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित। उक्त पक्षकार के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम मोरू पटवार हल्का उम्मेदपुर तहसील आहोर के वर्तमान खसरा नंबर 111 रकबा 3.11 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी को जवांई बांध नहर से पानी सिंचाई हेतु दिलाये जाने बाबत अनुतोष चाहा। जिस अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद का आधार यह था कि वादी के आराजी के खसरा नंबर 111 व पुराने खसरा नंबर 79 में कदीम से नहर साधन से सिंचाई की जाती आ रही है जिसका दस्तावेजी सबूत वादी व उसके पूर्वजो द्वारा नहर से पानी लेने बाबत सिंचाई विभाग से काटी गई रसीदे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वाद के साथ प्रस्तुत की, व राजस्व नक्शा भी नहर वादी के आराजी के समीप लोर पर सिति है एवं पडोसी खातेदारो की जमाबंदियां जिसमे सिंचाई साधन नहरी दोयम दर्ज है। राजस्व कर्मचारियो ने त्रुटि से वादी के खातेदारी आराजी में सिंचाई साधन दर्ज नहीं किया गया। जबकि वादी उसी नहर से अपने आराजी की सिंचाई करता आ रहा है। व सिंचाई हेतु लिये गये पानी का मूल्य भी अदा करता आ रहा है। जिसकी रसीदे वाद के साथ संलग्न की गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये, बिना साक्ष्य सबूत लिये लोक अदालत कैम्प विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी जवाई नहर के पानी से सिचिंत होती रही हो। एवं न ही हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम मोरू पटवार हल्का उम्मेदपुर तहसील आहोर के वर्तमान खसरा नंबर 111 रकबा 3.11 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी को जवांई बांध नहर से पानी सिंचाई हेतु दिलाये जाने बाबत अनुतोष चाहा। जिस अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी जवाई नहर के पानी से सिंचित होती रही हो। साथ ही हस्तगत प्रकरण में हाजा न्यायालय के समक्ष भी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यो के अभाव में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 179/15

45/2018

हमीरसिंह बनाम सरकार

पेज संख्या 3/3

बउनवान हमीरसिंह बनाम अधिशाषी अभियंता वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली